अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री राजन विशाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. किशन लाल निमेश पुत्र स्व॰ श्री ठाकुरिया राम जाति जाटव निवासी प्लाट नम्बर 66, शिव कालोनी, किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर।
2. श्रीमती शिव देवी पत्नी श्री किशन लाल निमेश जाति जाटव, निवासी प्लाट नम्बर 66, शिव कालोनी, किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर।

अपीलार्थीगण

बनाम

3. श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नी ऋषिपाल जाति जाटव निवासी प्लाट नम्बर 66, शिव कालोनी, किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 26.12.2019 उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 01/2019 ब उनवानी किशन लाल निमेश बनाम श्रीमती कृष्णा कुमारी

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी स्वयं उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 11.05.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 01/2019 ब उनवानी किशन लाल निमेश बनाम श्रीमती कृष्णा कुमारी में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 से व्यथित हो कर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

4. अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 व राजस्थान माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2010 के नियम 20 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ अधिकरण के पास वरिष्ठ नागरिक की जान माल की सुरक्षा किये जाने का दायित्व है । उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि माननीय अधिकरण एवं अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा चाहा गया सम्पूर्ण अनुतोष प्रदान करने की शिक्तियां निहित है तथा अधीनस्थ अधिकरण का यह दायित्व भी है कि वरिष्ठ नागरिक की जान माल की सुरक्षा प्रदान करें, लेकिन इसके बावजूद भी अधीनस्थ अधिकरण ने उक्त प्रावधानों की अनदेखी कर अपीलार्थीगण को उसके द्वारा चाहा गया वास्तविक अनुतोष प्रदान नहीं कर गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ अधिकरण का निर्णय दिनांक 26.12.2019 चाहे गये अनुतोष के अनुरूप न होकर मात्र औपचारिकता पूरी करते हुए अस्पष्ट एवं अर्याप्त आदेश पारित कर गम्भीर कानूनी त्रुटि की है । जबकि वास्तविकता यह है कि अधीनस्थ अधिकरण के उक्त आदेश से प्रत्यर्थी को बल मिला है। प्रत्यर्थी यही चाहती है कि वह जबरन अपीलार्थीगण के मकान में निवास करे तथा अपीलार्थीगण को प्रताड़ित कर सम्पूर्ण मकान पर अपना कब्जा कर ले । अधीनस्थ अधिकरण के उक्त आदेश की आड़ में प्रत्यर्थी अब अपीलार्थीगण के मकान में साथ रह कर अपीलार्थीगण को प्रताड़ित करेगी तथा अपीलार्थीगण के मकान को हड़पने के लिए कोई संगीन वारदात अपीलार्थीगण के साथ कारित कर सकती है । अधीनस्थ अधिकरण ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को नजर अन्दाज कर उक्त आदेश पारित करने में त्रुटि की है । जिसमें संशोधन किया जाकर अपीलार्थीगण को परिवाद में चाहा गया सम्पूर्ण अनुतोष दिलवाया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थीगण ने अपने परिवाद में स्पष्ट रूप से यह अनुतोष चाहा है कि प्रत्यर्थी को अपीलार्थीगण के मकान से बेदखल किया जावे । चूंकि उक्त मकान अपीलार्थीगण की स्व अर्जित आय से क्रय किया हुआ है जिस पर मात्र अपीलार्थीगण का ही हक एवं अधिकार है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अधिकरण को चाहिये था कि वह प्रत्यर्थी को अपीलार्थीगण के मकान से बेदखल करने का आदेश पारित करे लेकिन अधीनस्थ अधिकरण ने प्रत्यर्थी को बेदखल करने के बजाय अपीलार्थीगण के साथ रहने का ही आदेश पारित कर दिया । इस प्रकार अधीनस्थ अधिकरण ने प्रत्यर्थी को ही अपीलार्थीगण के विरूद्ध अनुतोष प्रदान कर दिया । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपनी पुत्रवधु के विरूद्ध तभी कोई कार्यवाही करता है जबकि उसकी पुत्रवधु द्वारा उसे भयंकर रूप से प्रताड़ित किया जाता हो तथा उसकी जान को खतरा उत्पन्न हो जाये तथा कार्यवाही करने के अलावा और कोई रास्ता ही नजर नहीं आये । हस्तगत प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ है प्रत्यर्थी ने अपनी मर्यादाओं को तोड़ कर अपीलार्थीगण के साथ घोर अत्याचार किये है तथा अपीलार्थीगण का जीना हराम कर दिया। अपीलार्थीगण के स्वामित्व के मकान पर जबरन कब्जा कर लिया । ऐसी स्थिति में योग्य अधीनस्थ अधिकरण को अपीलार्थीगण द्वारा चाहे गये सम्पूर्ण अनुतोष प्रदान कर प्रत्यर्थीगण को बेदखल किया जानां आवश्यक है। लेकिन अधीनस्थ अधिकरण ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को नजर अन्दाज कर उक्त आदेश पारित किये जाने मे त्रुटि की है। जिसमें संशोधन किया जाकर अपीलार्थीगण के परिवाद मे चाहा गया सम्पूर्ण अनुतोष दिलवाया जाना न्यायोचित है। प्रत्यर्थी अपीलार्थी की पुत्रवधु है तथा अपीलार्थीगण के जेष्ठ पुत्र ऋषिपाल की पत्नी है । प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध दहेज प्रताडंना का मुकदमा दर्ज करवाया । इतना सब करने के पश्चात भी प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध 307 आई पी सी का झूंठा आरोप लगा दिया। जबकि प्रत्यर्थी स्वयं किसी प्रकार की चोट कारित होना नहीं

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

बताया है। प्रत्यर्थी स्वयं अपीलार्थीगण का मकान छोड कर करीब 11 वर्ष से अपने पीहर में निवास कर रही थी तथा एक दिन अचानक पुलिस को लेकर घर पर आ गई तथा जबरन अपीलार्थीगण के घर में काबिज हो गई । ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी से जान माल का भी खतरा है। अधिनस्थ अधिकरण ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को नजर अन्दाज किया जाकर अपीलार्थी को परिवार में चाहा गया है अनुतोष दिलवाया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को भी पूर्ण रूप से नजर अन्दाज कर दिया है। यह विवादित नहीं कि प्रश्नागत मकान अपीलार्थीगण के स्वामित्व का है। यह भी विवादित नहीं है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीगण के मकान पर 11 वर्ष पृथक रहने के पश्चात कब्जा कर लिया है। इस प्रकार अधीनस्थ अधिकरण की कार्यवाही दूषित एवं विधि विरूद्व होने के कारण उक्त आदेश में संशोधन किया जाकर अपीलार्थीगण द्वारा चाहा गया सम्पूर्ण अनुतोष दिलवाया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ अधिकरण ने निर्णय में अपीलार्थीगण के साथ प्रत्यर्थी द्वारा की गई करतूतो का कोई उल्लेख नहीं किया तथा ना ही अपना कोई मत प्रकट किया। मात्र मध्यस्था की भूमिका अदा करते हुए अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी को एक साथ रहने का आदेश पारित कर दिया जो कि सरसरी तौर पर ही संशोधित किया जाकर अपीलार्थीगण को उसके द्वारा चाहा गया सम्पूर्ण अनुतोष दिलवाया जाना आवश्यक है। परिस्थितियां इतनी विकट हो गई है कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी का एक ही मकान में एक साथ रहना किस भी प्रकार से सम्भव नहीं है यदि अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी के साथ रहे तो प्रत्यर्थी अपने नापाक इरादों में सफल हो जायेगी तथा वह कोई भी संगीन वारदात अपीलार्थीगण के साथ कर अनहोनी घटना कारित कर सकती है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी को अपीलार्थीगण के मकान से बेदखल किया जाना एवं अपीलार्थीगण की जानमाल की सुरक्षा करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है । उक्त समस्त तथ्यों से अधीनस्थ अधिकरण को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी अपीलार्थीगण के द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नहीं कर गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। विधि का स्पष्ट प्रावधान है कि वरिष्ठ नागरिक स्वयं की सम्पत्ति पर इस आशय में कि उक्त व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक की सेवा सुश्रषा करेगा किसी को काबिज होने देता है तो उस वरिष्ठ नागरिक को अधिकार है कि उक्त व्यक्ति द्वारा प्रताड़ित किये जाने पर उसे बेदखल कर सके लेकिन अधीनस्थ अधिकरण द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू पर किसी भी प्रकार का विचारण नहीं किया गया है। अधीनस्थ अधिकरण को शक्तियां प्रदत्त थी, कि वह प्रत्यर्थी को उक्त परिसर से बेदखल कर अपीलार्थीगण के पुत्र को आदेशित करता कि वह प्रत्यर्थी के वैकल्पिक रहवास की व्यवस्था कर सके लेकिन उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अन्दाज कर कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अदालत माहतत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 को इस हद तक अपास्त किया जाकर आदेश फरमाया जावे कि प्रत्यर्थी को अपीलार्थीगण की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 66, शिव कालोनी, किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर से बेदखल किया जावे। प्रत्यर्थी को पाबन्द किया जावे कि वह अपीलार्थीगण के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा कारित नहीं करें एवं उनके शान्तिपूर्ण जीवन व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करे। अपीलार्थीगण की सम्पत्ति के किसी भाग पर कब्जा व अतिचार नहीं करें।

5. प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रत्यर्थी का अपीलार्थीगण के पुत्र ऋषिपाल के साथ दिनांक 12.05.2003 को हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न हुआ था । विवाह के पश्चात अपीलार्थीगण व उनका पुत्र ऋषिपाल व अन्य परिवारजन द्वारा प्रत्यर्थी को कम दहेज लाने का ताना दे कर प्रताड़ित किया तथा प्रत्यर्थी के साथ आये दिन मारपीट करते थे।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

प्रत्यर्थी को कहते थे कि तेरे बाप ने दहेज नही दिया है । प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीगण व अपने पति ऋषिपाल के विरूद्ध महिला थाना पूर्व गांधीनगर में धारा 498 ए. 406 आई पी सी में रिपोर्ट दर्ज करवाई । जिससे पुलिस द्वारा ससुर किशन लाल, सास शिव देवी और पति ऋषिपाल को अभियुक्त मानते हुए माननीय न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय ए सी एम एम क्रम संख्या 11 जयपुर में विचाराधीन है। अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी के पश्चात जो घरेलू हिंसा कारित की उसके लिए भी माननीय न्यायालय सांगानेर में धारा 12 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त न्यायालय ने दिनांक 16.06.2010 को आदेश पारित करते हुए स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी व उसके बच्चे का साझा घर में निवास करने में कोई बाधा कारित नही करते हुए आदेशित किया। आदेश दिनांक 16.04.2010 की पालना में प्रत्यर्थी ने कई बार साझा घर में निवास करने हेतु प्रयास किये परन्तु अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी व उसके बच्चे को घर मे रहने व रखने से मना कर दिया। जिस पर प्रत्यर्थी ने दिनांक 16.04.2010 के आदेश की पालना में संबंधित थानाधिकारी से उक्त आदेश की पालना करवा कर उक्त पते पर दिनांक 31.10.2018 से निवास करना प्रारम्भ किया। प्रत्यर्थी माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगानेर के आदेश दिनांक 16.04.2010 की पालना में वर्तमान में निवास कर रही है । अपीलार्थीगण को किसी प्रकार से प्रत्यर्थी व उसके बच्चे को निकालने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष सही तथ्यों को छुपा कर परिवाद पेश किया गया था जो खारिज किया जा चुका है। अपीलार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष जीवन व सम्पत्ति की संरक्षा व बेदखली किये जाने का प्रत्यर्थी के विरूद्व अनुतोष चाहने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2019 से बेदखली का अनुतोष खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 (1) इस प्रकार है–**Section 23. Transfer of property to be void in certain circumstances**– (1) Where any senior citizen who, after the commencement of this Act, has transferred by way of gift or otherwise, his property, subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transfer or and such transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs, the said transfer of property shall be deemed to have been made by fraud or coercion or under undue influence and shall at the option of the transfer or be declared void by the tribunal.

इस प्रकार अधिनियम की धारा 23 यह उपबन्ध करती है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहां सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक् असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जावेगा। उक्त प्रकरण में ऐसा कोई सशर्त अन्तरण नहीं पाया गया है। इसलिए धारा 23 के प्रावधान लागू नहीं होते है। प्रत्यर्थी व उसके पति ऋषिपाल सिंह के मध्य धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 बाबत विवाह विच्छेद का मामला विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमवर्ग सांगानेर द्वारा आदेश दिनाक 16.04.2010 से श्रीमती कृष्ण कुमारी व उसके बच्चे के साथ घरेलू हिंसा का व्यवहार नहीं करने एवं श्रीमती कृष्णा कुमारी व उसके बच्चे को साझाघर में निवास करने में कोई बाधा कारित नहीं करने के लिए अपीलार्थीगण व अन्य को पाबन्द किया हुआ है। प्रत्यर्थी माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सांगानेर के आदेश दिनांक 16.04.2010 से उक्त मकान में रह रही है। अपीलार्थीगण व उनके पुत्र तथा प्रत्यर्थी के मध्य पारिवारिक न्यायालय तथा अन्य सिविल न्यायालयों में मुकद्दमें लम्बित है। अपीलार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष का निर्णय सिविल न्यायालय से ही तय होगा। अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त पूर्ण रूप से चस्पा नहीं होते है। अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।

9. निर्णय आज दिनांक 11.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

11/05/22

(सजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर